न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

SPECIAL JAIL LOK ADALAT

DATE

26.04.2026

MADHYA PRADESH

STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

JABALPUR

Special Jail Lok Adalat Launched Across Madhya Pradesh from Central Jail, Gwalior

The Madhya Pradesh State Legal Services Authority organized a **Special Jail Lok Adalat** across the entire State on 26 April 2026 with a focused objective of ensuring timely and accessible justice to prison inmates, reducing pendency of cases involving undertrial prisoners, and strengthening the implementation of alternative dispute resolution mechanisms within custodial settings.

This State-wide initiative marked a significant step towards bringing the justice delivery system directly to jail premises, thereby eliminating procedural and logistical barriers often faced by incarcerated individuals.

The programme was inaugurated at the State level from Central Jail, Gwalior by Hon'ble Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh and Patron-in-Chief, MPSLSA, in the presence of Hon'ble Shri Justice Anand Pathak, Administrative Judge of the High Court of Madhya Pradesh, Bench at Gwalior and Chairman, High Court Legal Services Committee, Gwalior, along

with other Hon'ble Judges of the High Court. The initiative was conducted under the guidance of Hon'ble Shri Justice Vivek Rusia, Judge of the High Court of Madhya Pradesh and Executive Chairman, MPSLSA. The programme witnessed participation of Hon'ble Companion Judges of High Court of Madhya Pradesh, senior judicial and administrative dignitaries, including officers of the Prison and Correctional Services, District Administration, and Police Department, reflecting a coordinated institutional effort.

The Special Jail Lok Adalat was implemented simultaneously across all districts and correctional institutions of the State through the coordinated efforts of District Legal Services Authorities, judicial officers, jail superintendents, and other stakeholders. Necessary preparatory steps were undertaken in advance, including identification and scrutiny of eligible cases by the District Legal Services Authorities in consultation with jail authorities. Meetings and coordination mechanisms were established to ensure that only legally permissible and settlement-ready matters were placed before the Lok Adalat

benches. Adequate arrangements were made within jail premises to facilitate smooth conduct of proceedings, and virtual connectivity was also utilized to ensure participation and monitoring at the State level.

During the Lok Adalat, a wide spectrum of cases was taken up, including plea bargaining matters, compoundable criminal cases, petty and summary offences, civil disputes including matrimonial matters, and cases under relevant statutory provisions suitable for settlement. Emphasis was placed on facilitating amicable resolution through dialogue between parties, encouraging compromise where permissible, and adopting plea

bargaining procedures in appropriate cases.

The Lok Adalat benches ensured that settlements were voluntary and in accordance with legal provisions, and that necessary orders were passed promptly to give effect to such settlements.

The initiative resulted in the **disposal of 165 cases**, leading to the **release of more than 100 inmates in a single day**, thereby providing immediate and meaningful relief to a substantial number of prisoners. The conduct of proceedings within jail premises enabled expeditious resolution of cases that might otherwise have remained pending due to logistical challenges such as production of inmates before courts. The initiative also contributed to reducing overcrowding in prisons and alleviating the burden on the regular court system.

The Special Jail Lok Adalat also had a notable qualitative impact. It enhanced awareness among inmates regarding their legal rights and available remedies, encouraged a reformative approach towards justice, and promoted reconciliation between parties in appropriate cases. The initiative reinforced the role of Lok Adalats not merely as forums for disposal of cases but as mechanisms for addressing disputes in a holistic and humane manner.

Certain notable success stories have been incorporated in the report to illustrate the tangible and transformative outcomes achieved through this initiative, including resolution of long-pending disputes and facilitation of early release of inmates.

Overall, the Special Jail Lok Adalat demonstrated the effectiveness of a coordinated and proactive approach in delivering justice to marginalized sections of society. It strengthened institutional collaboration between the judiciary, legal services authorities, and prison administration, and underscored the importance of taking justice delivery mechanisms closer to the beneficiaries.

The initiative aimed at ensuring inclusive, efficient, and humane justice delivery, and its continued implementation at periodic intervals may further contribute to sustained reduction in pendency and advancement of the objectives of access to justice.

सर्किल जेल का दर्जा - 14 सितम्बर 2018
सर्किल जेल रतलाम,
खण्डपीठ – 2

जिला जेल बालाघाट
जिला बालाघाट (म.प्र.)
विशेष जेल लोक अदालत
दिनांक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय, हरदा (म.प्र.)
विशेष जेल लोक अदालत
दिनांक :: 26-04-2026
स्थान :: जिला जेल, हरदा (म.प्र.)

सभी आगन्तुकों का
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

DLSA REWA

A criminal case under Section 379 of the Indian Penal Code, pending since 2020, was taken up during the Special Jail Lok Adalat held on 26.04.2026 at Central Jail, Rewa. The matter had remained unresolved for several years. Focused efforts were made by the District Legal Services Authority, Rewa to facilitate constructive dialogue between the complainant and the accused. Through continuous counselling and mediation within the Jail premises, an environment of trust and understanding was created, enabling both sides to openly discuss their concerns.

As a result of these sustained efforts, the parties expressed their willingness to resolve the dispute amicably. A mutual compromise was reached, and the case was successfully disposed of in the Special Jail Lok Adalat. This resolution not only brought an end to a long-pending dispute but also highlighted the effectiveness of Lok Adalat in ensuring speedy, amicable, and accessible justice, even within custodial settings.

DLSA JABALPUR

A young undertrial prisoner, aged 24, had been in custody for nearly one year in connection with two theft cases registered at a local police station in Jabalpur. The matters had remained pending before the court during this entire period, prolonging both the incarceration of the accused and the distress of the complainants. Recognizing the case as compoundable, the District Legal Services Authority, Jabalpur initiated focused efforts to bring the parties together. Notice was duly served upon the complainants, and they were persuaded to attend the Special Jail Lok Adalat organized at Central Jail,

Jabalpur. On the day of the Lok Adalat, both complainants appeared and were counselled and guided through the process of amicable settlement. Through effective mediation and continuous persuasion, an understanding was developed between the parties. Acting upon the mutual compromise, the Bench immediately disposed of the case, leading to the release of the undertrial prisoner who had been in custody for a year.

DLSA RATLAM

A 36-year-old undertrial prisoner had been entangled in a criminal case registered in 2020 under Sections 294 and 506 of the Indian Penal Code. Due to his continuous absence from the court, a warrant was issued against him, and he was eventually declared absconding. He was later arrested and produced before the court in March 2026, leading to his continued detention. Coming from a financially poor background, the accused sought free legal aid. Counsel was provided through the Legal Aid Defense system, and sincere efforts were made to trace and produce witnesses. Simultaneously, the District Legal Services Authority, Ratlam actively intervened to establish communication with the complainant and explore the possibility of an amicable settlement. Through persistent coordination, counselling, and mediation, both parties were brought to a common ground. The dispute was ultimately resolved through mutual compromise during the Special Jail Lok Adalat held on 26.04.2026.

As a result, the long-pending matter was disposed of, and the undertrial prisoner was released and reunited with his family. The resolution not only ended years of legal uncertainty but also gave the individual an opportunity to reintegrate into society with a renewed sense of responsibility.

DLSA CHHINDWARA

A businessman dealing in furniture reported that he had been deceived in a transaction involving LED televisions worth ₹1,67,500. The accused had impersonated a representative of a developer firm, arranged pickup of the goods through a transport vehicle, and subsequently diverted the consignment to another city. A criminal case was registered, and the accused was arrested and remained in judicial custody for about 16 months.

During the Special Jail Lok Adalat held on 26.04.2026 at District Jail, Chhindwara, focused efforts were made by the District Legal Services Authority, Chhindwara to resolve the matter. The complainant was called before the bench and was sensitively counselled about the prolonged incarceration of the accused and the possibility of a restorative resolution.

The accused expressed remorse for his actions and assured the bench that he would lead a law-abiding life in the future. Through continuous persuasion, mediation, and empathetic dialogue, the complainant agreed to settle the dispute amicably. Based on mutual consent, a compromise was arrived at and the case was disposed of through the Special Jail Lok Adalat. As a result, the accused was released from custody.

DLSA GWALIOR

(1) An undertrial prisoner had been in custody for nearly 30 months in connection with a railway theft case. The prolonged detention had significantly impacted his personal liberty while the matter remained pending.

During the Special Jail Lok Adalat, the case was taken up for resolution through the process of plea bargaining. With effective legal facilitation and guidance, the accused opted for plea bargaining, enabling a lawful and

expedited conclusion of the case. As a result, the matter was disposed of, and the accused was released from custody.

(2) A long-pending criminal matter, lingering for nearly a decade since 2016, was taken up during the Special Jail Lok Adalat held on 26.04.2026. The case had remained unresolved for years, contributing to prolonged litigation and continued incarceration. Through proactive coordination, the District Legal Services Authority, Gwalior ensured the presence of the complainant within the jail premises itself. Focused mediation efforts were undertaken, enabling direct dialogue between the parties in a structured and supportive environment. As a result of effective counselling and sustained persuasion, both parties agreed to amicably settle the dispute. The matter was immediately disposed of by the Bench, and the accused was granted release.

(3) In a case where both the accused and the complainant were lodged in the Central Jail, the dispute had remained unresolved due to lack of direct communication between the parties. During the Special Jail Lok Adalat, the Bench facilitated a structured interaction between both sides within the jail premises. Continuous mediation efforts and constructive dialogue helped in building mutual understanding. As a result, both parties agreed to resolve the matter amicably and put an end to the dispute. The case was disposed of on the spot, leading to the release of the accused.

News. Media...

Madhya Pradesh SLSA Holds Special Jail Lok Adalat Across State; Long-Pending Cases Resolved, Inmates Released

LIVELAW NEWS NETWORK
27 Apr 2026 2:43 PM (0 mins read)

The Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA), under the leadership of Justice Sanjeev Sachdeva, Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh and Patron-in-Chief, and Justice Vivek Rusia, Executive Chairman, initiated a Special Jail Lok Adalat across the State on April 26, 2026, from Central Jail, Gwalior.The programme was inaugurated by Chief Justice Sanjeev Sachdeva in...

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2026-04-28 | Page- 4
ehitavada.com

SPECIAL JAIL *LOK ADALAT* inaugurated to provide speedy, accessible justice to inmates

■ Legal Correspondent

UNDER the visionary leadership of Chief Justice Sanjeev Sachdeva and under the able guidance of Justice Vivek Rusia, a significant step was taken towards strengthening the mechanism of providing speedy and accessible justice to prison inmates. Marking a first-of-its-kind initiative in the State of Madhya Pradesh, the Special Jail Lok Adalat was inaugurated for the entire State from Central Jail, Gwalior, by Chief Justice Sanjeev Sachdeva, Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, in the august presence of Justice Anand Pathak, Administrative Judge of the High Court of Madhya Pradesh, Bench at Gwalior and Chairman, High Court Legal Services Committee, Gwalior, along with other Companion Judges of the High Court of Madhya Pradesh.

Chief Justice Sanjeev Sachdeva inaugurated Special Jail *Lok Adalat* for the entire State from Central Jail.

Justice Sanjeev Sachdeva, in his inspiring address, stated that, a person is not born a criminal, it is circumstances, choices, and sometimes fate that lead them down that path. Yet, it is equally true that every individual possesses an immense capacity for change. History bears witness that even those who have walked the darkest paths can, through determination and self-realization, transform into noble human beings. Maharishi Valmiki stands as a shining example, once a feared bandit, he transformed through inner awakening and is now revered as a great sage.

He further reiterated that life offers everyone an opportunity to reform and choose a new direction. He encouraged the inmates to utilise this opportunity for introspection, to learn from past mistakes, and to build a better future. He urged them to acquire new skills, and nurture their inherent talents. He highlighted that the *Lok Adalat* is not merely a platform for dispute resolution but also a meaningful step towards a new beginning, aiming to ensure that inmates re-enter society as responsible and reformed individuals capable of contributing positively.

On this occasion, Justice G S Ahluwalia, Justice Milind Ramesh Phadke, Justice Ashish Shroti, Justice Amit Seth, Justice Anand Singh Bahrawat, and Justice Rajesh Kumar Gupta, Dharminder Singh, Registrar General, High Court of Madhya Pradesh, Suman Shrivastava, Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority were present. The programme was conducted by Suman Shrivastava, Member Secretary, MPSLSA, while a vote of thanks was proposed by . Akheto Sema, Special Director General, Prison and Correctional Services, Madhya Pradesh.

Powered by Bharati Web

स्वदेश
ग्वालियर - मुख्य संस्करण
27 Apr 2026 | Page - 9

सकारात्मक व्यक्तित्व को अपनाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिएः मुख्य न्यायाधिपति

■विशेष जेल लोक अदालत में 7 बंदियों की रिहाई के आदेश

स्वदेश संवाददाता ■ ग्वालियर

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के तत्वावधान में रविवार को पूरे मध्यप्रदेश की जेलों में विषेश जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा द्वारा केन्द्रीय जेल ग्वालियर में किया गया।

इस मौके पर उपस्थित बंदीगण को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा द्वारा बताया गया कि बंदीगण की जेल में आने की जो भी परिस्थितियां रही हो, किंतु यहां से बाहर निकलने तक की समयावधि में बंदीगण को एक सकारात्मक व्यक्तित्व को अपनाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि सजा अवधि पूर्ण करने के उपरांत बंदीगण समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें। तत्पश्चात मप्र उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

केन्द्रीय जेल में हुई जेल लोक अदालत में निराकरण के लिए कुल 60 प्रकरण चिन्हित किए गए और उनके निराकरण के लिए कुल 03 खण्डपीठों का गठन किया गया। लोक अदालत की प्रक्रिया अनुसार किए गए प्रयासों के फलस्वरूप 06 प्रकरण का अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर तथा 12 आपराधिक प्रकृति के प्रकरणों में उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति के आधार पर समझौता हो जाने से कुल 18 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा इनमें से 7 बंदियों के रिहाई आदेश लोक अदालत खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किए गए। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया, न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडके, न्यायमूर्ति आशीष श्रोती, न्यायमूर्ति अमित सेठ, न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत, न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता सहित अन्य न्यायाधीशगण व जेल प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए।

मप्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया विशेष जेल लोक अदालत का शुभारंभ

कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता पर परिस्थितियां उसे कर देती हैं मजबूर

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है। परिस्थितियां उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। यह भी सच है कि प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन की अपार संभावनाएं होती हैं,

इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उक्ताशय के विचार मप्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने केंद्रीय जेल ग्वालियर में विशेष जेल लोक अदालत के शुभारंभ के अवसर पर व्यक्त किए। इस मौके पर जस्टिस आनंद पाठक भी मौजूद थे। मप्र राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा जेल में निरुद्ध बंदियों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर में विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

जबलपुर सेंट्रल जेल में 22 प्रकरणों का निराकरण

रविवार को जबलपुर सेंट्रल जेल में भी विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कृष्णमूर्ति मिश्रा ने किया। प्रकरणों के निराकरण के लिए दो खंडपीठों का गठन किया गया। प्रथम खंडपीठ में विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट वेदप्रकाश सागर के साथ अधिवक्ता वेदप्रकाश नेमा और नरेन्द्र ठाकुर शामिल रहे। दूसरी खंडपीठ में न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण वर्मा के साथ मीडिएटर सरिता जैन कोछाल और संतोष पासी शामिल थे। दोनों खंडपीठों में 22 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस मौके पर विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार, जिला रजिस्ट्रार ऋषिराज मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक सोनी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शक्ति वर्मा मौजूद थीं।

लोक अदालत में छोटू को मिली जेल से रिहाई

सेंट्रल जेल में अमित उर्फ छोटू (परिवर्तित नाम) आपसी विवाद के चलते लगाए गए चोरी के आरोप में एक साल से जेल में था। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया। समझाइश के बाद उन्होंने शिकायत वापस ले ली। इसके बाद तत्काल छोटू की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया। इस प्रकार एक साल से लंबित प्रकरण का निराकरण एक दिन में हो गया।

दैनिक भास्कर
Mon, 27 April 2026
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/79730377

सेंट्रल जेल में लोक अदालत का आयोजन, बंदियों को मिलेगा त्वरित न्याय का अवसर

ग्वालियर। मध्यप्रदेश की जेलों में 26 अप्रैल को आयोजित विशेष जेल लोक अदालतों के दौरान 7 बंदियों की रिहाई के आदेश जारी किए गए। इस पहल का शुभारंभ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने केन्द्रीय जेल, ग्वालियर से ऑनलाइन किया। आयोजन म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा किया गया।

बंदीगण को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सचदेवा ने सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि निरंतर प्रयास से ही व्यक्ति समाज की मुख्यधारा में पुनः जुड़ सकता है। वहीं, उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल विवाद समाप्त करना नहीं, बल्कि उसके मूल कारणों को समझकर स्थायी समाधान देना है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विवाद-विहीन समाज के निर्माण का संकल्प भी दोहराया।

केन्द्रीय जेल ग्वालियर में आयोजित लोक अदालत में 60

प्रकरण चिन्हित किए गए, जिनके निराकरण के लिए तीन खंडपीठों का गठन किया गया। प्रयासों के परिणामस्वरूप 6 प्रकरण प्ली-बारगेनिंग के तहत तथा 12 प्रकरण आपसी सहमति से सुलझे, इस प्रकार कुल 18 मामलों का निराकरण हुआ। इनमें से 7 बंदियों की रिहाई के आदेश जारी किए गए। एक उल्लेखनीय मामले में वर्ष 2016 से लंबित प्रकरण के शिकायतकर्ता स्वयं जेल पहुंचे और आरोपी के साथ समझौता किया। खंडपीठ क्रमांक-02 की पीठासीन अधिकारी स्वाति शर्मा ने समझौते को दर्ज कर तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

कार्यक्रम में न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया, न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडके, न्यायमूर्ति आशीष श्रोती, न्यायमूर्ति अमित सेठ, न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत, न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता, जेल विभाग के विशेष महानिदेशक अखेतो सेमा, रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह, प्रधान जिला न्यायाधीश ललित किशोर, जिला न्यायाधीश निरीक्षण जाकिर हुसैन, सदस्य सचिव सुमन श्रीवास्तव सहित कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और जेल अधीक्षक विदित सिरवैया सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

सकारात्मक व्यक्तित्व को अपनाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिये: चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा

● आचरण संवाददाता

ग्वालियर। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर से रविवार को मध्यप्रदेश की जेलों में विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति शसंजीव सचदेवा द्वारा केन्द्रीय जेल, ग्वालियर में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा बंदियों की जेल में आने की जो भी परिस्थितियां रही हो, किंतु यहां से बाहर निकलने तक की समयावधि में उन्हें एक सकारात्मक व्यक्तित्व को अपनाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिये, ताकि सजा अवधि पूर्ण करने के उपरांत बंदी समाज की मुख्यधारा में जुड सकें। उन्होंने जेल में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी, साथ ही इस जेल लोक अदालत के माध्यम से लाभान्वित होने की समझाइश दी। इस अवसर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष आना होता है, जबकि इस कल्याणकारी जेल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय पक्षकार के पास आया है और लाभान्वित होने का एक मौका प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा लोक अदालत का मूल उद्देश्य अपराध या विवाद को समाप्त करना नहीं है बल्कि अपराध या विवाद के कारणों को उजागर कर उसे समाप्त करने की दिशा में प्रयासरत होने का मौका देता है। हम सभी को यह प्रयास करना चाहिये कि वर्ष 2047 तक हम एक विवाद विहीन समाज की स्थापना कर सके और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिये हमारे द्वारा दिया गया योगदान ही देश हितार्थ हमारा सद्कर्म होगा।

उन्होंने कहा जिस ध्येय व उद्देश्य को आधार बनाकर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिस प्रकार कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है वह निश्चित ही एक विवाद विहीन समाज की स्थापना की नींव रख रहा है। केन्द्रीय जेल, ग्वालियर में हुई जेल लोक अदालत में निराकरण हेतु कुल 60 प्रकरण चिन्हित किये गये और उनके निराकरण के लिए 03 खण्डपीठों का गठन किया गया। लोक अदालत की प्रक्रिया अनुसार किये गये प्रयासों के फलस्वरूप 06 प्रकरणों का प्ली-बारगेनिंग (अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर) तथा 12 आपराधिक प्रकृति के प्रकरणों में उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति के आधार पर समझौता हो जाने से कुल 18 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा इनमें से 7 बंदियों के रिहाई आदेश लोक अदालत खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किये गये।

कार्यक्रम में न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया, न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडके, न्यायमूर्ति आशीष श्रोती, न्यायमूर्ति अमित सेठ, न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत, न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता सहित मध्यप्रदेश जेल विभाग के विशेष महानिदेशक अखेतो सेमा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह, ग्वालियर के प्रधान जिला न्यायाधीश ललित किशोर, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) जाकिर हुसैन, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव सुश्री सुमन श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार राजीव के पाल व रजिस्ट्रार नवीन कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव अरविंद श्रीवास्तव, ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान व पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, केन्द्रीय जेल-ग्वालियर के जेल अधीक्षक विदित सिरवैया एवं अन्य न्यायाधीश व जेल प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित हुये।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा–सकारात्मक व्यक्तित्व को अपनाने की दिशा में हों प्रयास

विशेष लोक अदालत: तीन खंडपीठ 60 प्रकरण चिन्हित, 7 बंदियों की हुई रिहाई

● ग्वालियर /आरएनएन

केन्द्रीय जेल में रविवार को जेल लोक अदालत लगी। लोक अदालत में निराकरण के लिए कुल 60 प्रकरण चिन्हित किए गए। इनका निराकरण करने के लिए 3 खंडपीठ का गठन किया गया था। सुनवाई के बाद 06 प्रकरण का प्ली-बारगेनिंग (अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर) तथा 12 आपराधिक प्रकृति के प्रकरणों में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के आधार पर समझौता हुआ। इस तरह कुल 18 प्रकरणों का निराकरण हुआ।

लोक अदालत खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी द्वारा इनमें से 7 बंदियों के रिहाई आदेश जारी किए। दरअसल, प्रदेश की सभी जेलों में रविवार को विशेष जेल लोक अदालत लगी थी। इसका वर्चुअल उद्घाटन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा द्वारा केन्द्रीय जेल ग्वालियर में किया गया।

उद्घाटन अवसर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि बंदीगण की जेल में आने की जो भी परिस्थितियां रही हो, किंतु यहां से बाहर निकलने तक की समयावधि में बंदीगण को एक सकारात्मक व्यक्तित्व को अपनाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिये, ताकि सजा अवधि पूर्ण करने के उपरांत बंदीगण समाज की मुख्यधारा में जुड सकें।

ग्वालियर खण्डपीठ के प्रशासनिक न्यायाधिपति न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष आना रहता है, जबकि इस कल्याणकारी जेल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय पक्षकार के पास आया है और लाभान्वित होने का एक मौका प्रदान कर रहा है। लोक अदालत का मूल उद्देश्य अपराध या विवाद को समाप्त करना नहीं है बल्कि अपराध या विवाद के कारणों को उजागर कर उसे समाप्त करने की दिषा में प्रयासरत होने का मौका देता है।

ये हैं उल्लेखनीय मामले

✓ वर्ष 2016 से लंबित एक मामले में आरोपी से सुलह करने के लिए शिकायतकर्ता जेल आए। पीठासीन अधिकारी स्वाति शर्मा की खण्डपीठ क्रमांक 02 में इस समझौते को दर्ज करने के बाद आरोपी को रिहा करने का आदेश जारी किया गया।

✓ एक अन्य मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों जेल में बंद थे। लोक अदालत में दोनों पक्षों को समझौता करने का मौका दिया गया। समझौते के बाद आरोपी को बरी किया गया।

ये रहे मौजूद

लोक अदालत में न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया, न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडके, न्यायमूर्ति आशीष श्रोती, न्यायमूर्ति अमित सेठ, न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत, न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता सहित मध्यप्रदेश जेल विभाग के विषेश महानिदेशक अखेतो सेमा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह, ग्वालियर के प्रधान जिला न्यायाधीश ललित किशोर, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) जाकिर हुसैन, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव सुमन श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार राजीव के पाल व रजिस्ट्रार नवीन कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव अरविंद श्रीवास्तव,कलेक्टर रुचिका चौहान व पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, जेल अधीक्षक विदित सिरवैया एवं अन्य न्यायाधीश व जेल प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए।

जिला जेल में विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन

● झाबुआ / राज न्यूज नेटवर्क

मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, 26 अप्रैल को प्रदेशभर की जिला जेलों में विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी के तहत जिला जेल झाबुआ में विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

जेल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती आशिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस विशेष लोक अदालत के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नितिन कुमार मुजाल्दा की खंडपीठ का गठन किया गया था, जिन्होंने जेल में निरुद्ध बंदियों के प्रकरणों पर वैधानिक कार्यवाही की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री शिव कुमार डावर ने बताया कि झाबुआ, पेटलावद और थांदला के न्यायालयों से पात्र बंदियों की जानकारी संकलित की गई थी। चिन्हित प्रकरणों में फरियादियों को अधिवक्ताओं के माध्यम से जेल परिसर में आमंत्रित किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि व्यक्ति द्वारा की गई गलती का आत्ममंथन कर अपने अंदर सुधार लाना है उन्होंने यह भी कहा कि जेल की चारदीवारी के पीछे समय बिता रहे बंदियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे मुख्यधारा में वापस लौट सकें। आज हमने झाबुआ, पेटलावद और थांदला के न्यायालयों से ऐसे प्रकरणों को चिन्हांकित किया जिनमें आपसी समझौते की गुंजाइश थी। मेरा आप सभी से यही कहना है कि विवादों को खींचने से केवल समय और मानसिक शांति व हानि होती है। आपसी राजीनामा न केवल कानू बोझ कम करता है, बल्कि समाज में सद्भाव पैदा करता है। उक्त विशेष जेल लोक अदाल में जिला विधिक सहायता अधिकारी जयदे माणिक, खण्डपीठ के सदस्यगण अधिवक यूनुस लोधी, सुरेश बिलवाल, जेल अधीक्ष सुजित खरे, जेल स्टॉप, जिला न्यायालय झाबुअ से योगेश रावत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ से पवन कुमार मांझी, श्री प्रतापसिंह डामोर एवं मेडिकल टीम उपस्थित रहे।

जिला जेल में विशेष लोक अदालत का आयोजन

नगर चिंगारी|अशोकनगर

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार रविवार को जिला जेल में विशेष जेल लोक अदालत का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश, सचिव सुनील कुमार कौशिक, मनीष अनुरागी न्यायाधीश श्रीमती हर्षिता शर्मा गोंड़ एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी हेमंत कुशवाह की विशेष उपस्थिति रही। आयोजित विशेष जेल लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के कुल 6 प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 1 आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक ललित दीक्षित, लीगल डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता गण भी उपस्थित रहे। जेल लोक अदालत का आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। उसी तारतम में जेल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु पूर्व में ही सभी प्रकरणों में समझौते की पहली बारगेनिंग की कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया था एवं प्रयास से एक प्रमुख प्रकरण को जेल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया गया है। जिसमें उपस्थित कैदी को रिहाई आदेश देकर लोक अदालत के दिन ही रिहाई सुनिश्चित कराई गई है।

जिला जेल धार में विशेष जेल लोक अदालत एवं मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

धार ■ ध्रुव वाणी।

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के आदेशानुसार जिला जेल धार में विशेष जेल लोक अदालत, मेगा स्वास्थ्य शिविर तथा चार नवीन वी.सी. कक्षों के शुभारंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती ममता जैन (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार) की गरिमामय उपस्थिति रही। उनके साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती नताशा शेख पटेल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रदीप सोनी भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने बंदियों को प्रेरित करते हुए कुम्हार, चिलम और सुराही का उदाहरण दिया और बताया कि मनुष्य की सोच और विचार ही उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि स्वयं की गलती स्वीकारना ही जीवन की सबसे ब?ी जीत है, जिससे आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से मामलों का निराकरण संभव होता है। विशेष लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान कई पात्र बंदियों के प्रकरणों को चिन्हित कर विचार क्षेत्र में लिया गया, जिसमें विचाराधीन बंदी सुरेश (पिता शंकरलाल) के प्रकरण का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कर उन्हें जेल से रिहा किया गया। साथ ही, जेल में स्थापित चार नवीन वी.सी. कक्षों का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। इसी क?ी में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में जिला चिकित्सालय और निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा लगभग 300 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। गंभीर शिकायतों वाले कुछ बंदियों को आगामी उपचार हेतु जिला चिकित्सालय धार में जांच करवाने की सलाह दी गई। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री आर.आर. डांगी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिमोन सुलिया, पैरालीगल वॉलंटियर श्रीमती अर्चना मुकाती सहित डॉ. संजय भण्डारी, डॉ. वैभव बौरासी, डॉ. निधिश गुप्ता और अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ-साथ जेल व मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहा।

सेंट्रल जेल में लोक अदालत का शुभारंभ

न्याय अब लोक अदालत के माध्यम से आपके पास : न्यायमूर्ति पाठक

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 26 अप्रैल. लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि व्यक्ति किसी भी उम्र में अपने आप में सुधार ला सकता है। उससे जो गलती हुई है, उसे सुधारकर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकता है। लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर न्यायमूर्तिगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, लोक अदालत पीठ के सदस्य, सचिव, कलेक्टर रुचिका चौहान, एसएसपी धर्मवीर सिंह सहित अन्य न्यायिक व जेल के अधिकारी उपस्थित रहे।

न्याय पाने के लिए पहले व्यक्ति को अदालत जाना पड़ता था, लेकिन अब लोक अदालत के माध्यम से न्याय आपके पास आया है। यह बात रविवार को सेंट्रल जेल ग्वालियर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के तत्वाधान में आयोजित प्रदेश की जेलों में विशेष जेल लोक अदालत के आयोजन अवसर पर न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कही। इससे पहले लोक अदालत का वर्चुअल शुभारंभ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा द्वारा किया गया। जेल लोक अदालत का उद्देश्य न्याय सुलभता को आमजन विशेषत: बंदियों तक पहुंचाने एवं बंदियों के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य जेलों में बंद बंदियों को शीघ्र न्याय दिलाना, उनके मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराना एवं न्याय प्रणाली में विश्वास को और अधिक सुदृढ करना है। इसके माध्यम से न्यायालयों पर लंबित प्रकरणों का भार कम करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय की भावना को भी सशक्त किए जाने का प्रयास है। न्यायिक सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी कदम है, जो समाज के वंचित वर्गों तक न्याय पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL